

Action taken Report in compliance of order dated 22.07.2022 passed by Honourable National Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi in O.A. no. 444/2022 Kunti Devi and other V/s State of U.P.

Background

A grievance application regarding illegal sand mining at Gata No. 1N and 1K of Vill-Dholha, Ramnagar, Tehsil- Khadda, Distt- Kushinagar was filed by Smt. Kunti Devi R/o Vill- Laxmipur Padarhwa, Tehsil- Khadda, Dist- Kushinagar. Honorable National Green Tribunal considered this grievance application as O.A. No. 444/2022. Honorable National Green Tribunal passed order on dated. 22.07.2022 in O.A. No. 444/2022. The related portion of this order is as mentioned below:-

“.... In view of the averments made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of State PCB, DFO and District Magistrate, Kushinagar. Joint Committee shall meet within two weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

Factual and action taken report may be furnished within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of image PDF.....”

Accordingly an action taken report in compliance of order passed on dated 22.07.2022 by Honourable N.G.T. in O.A. No. 444/2022 has been prepared.


Action taken report

1. In Compliance of the said order, U.P. Pollution Control Board (UPPCB) constituted a committee comprising of District Magistrate, Kushinagar, Divisional Forest Officer, Kushinagar and Regional Officer, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur vide letter no. H 78903/C-6/SA-692/O.A. No. 444/2022/2022, dated. 25.07.2022. Copy of the said letter is annexed as annexure- 01.
2. In compliance of the said order meeting of Concerned Committee Members was held on dated. 28.07.2012 at 11.00 AM in Collectorate, Kushinagar in the chairmanship of District Magistrate, Kushinagar. In the meeting it was decided that site visit shall be made by the Committee on dated. 31.07.2022 at 11.30AM. Copy of the note sheet regarding meeting is annexed as annexure-02
3. In compliance of the said order, Joint Committee visited the complaint site of Vill-Dholha, Ramnagar, Tehsil- Khadda, Distt- Kushinagar on dated. 31.07.2022. Joint Inspection Report of the Committee is annexed as annexure-03
4. As per Joint Committee inspection report, complaint was made for illegal sand mining on Gata No. 1N and 1K of Vill- Dholha, Ramnagar, Tehsil- Khadda, Distt- Kushinagar but mining Department has not issued mining lease for sand mining from Gata No. 1N and 1K.
5. As the time of inspection of Joint Committee, sand mining was not being done on the complaint site. Maximum portion of Complaint site was found submerged with water and few portion which was not submerged in water, there no pit of sand mining was found. At several places big grasses were found grown.

6. As per site inspection report Joint Committee, for Site mentioned in compliant neither applied for obtaining Environmental Clearance from Department of Environment, Govt. of U.P. nor apply for obtaining CTE/CTO from U.P. Pollution Control Board.
7. As per Joint Committee Inspection report, Site mentioned in the compliant is situated out of the Eco-Sensitive Zone of Sohgi Barwa, Vanyjeev Bihar of Distt- Maharajganj.
8. As per Joint Committee Inspection Report, complaint made by complainant is baseless and doing any type of action regarding complaint shall not be adequate.

Above mentioned action taken report regarding order passed by Honorable N.G.T. on dated 22.07.2022 in O.A. No. 444/2022 is submitted in form of searchable PDF/OCR supported PDF.

Annexure- As above.



(Pankaj Yadav)
Regional officer
U.P. Pollution Control Board
Gorakhpur

माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-444/2022 कुन्ती देवी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर के आदेश दिनांक 28.07.2022 को स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित समिति की निरीक्षण आख्या-


उपरोक्त संदर्भित शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर के आदेश दिनांक 28.07.2022 के क्रम में गठित समिति के नामित अधिकारीगण द्वारा दिनांक 31.07.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्त्री श्रीमती कुन्ती देवी उपस्थित रही। स्थलीय निरीक्षण की संयुक्त आख्या विन्दुवार निम्नवत् है:-


1. शिकायतकर्त्री द्वारा शिकायती स्थल ग्राम ढोलहा रामनगर, तहसील खड्डा, जनपद कुशीनगर के गाटा संख्या-1ण व गाटा संख्या-1क पर अवैध खनन की शिकायत की गई है, परन्तु खनन विभाग द्वारा उपरोक्त गाटों पर खनन हेतु पट्टा/अनुज्ञा नहीं दिया गया है।
2. निरीक्षण के समय उक्त शिकायती स्थल पर बालू खनन का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। शिकायती स्थल जलमग्न पाया गया तथा जहाँ पानी नहीं था वहाँ पर खनन के कोई गड्ढे मौजूद नहीं पाया गया, कई जगहों पर बड़े-बड़े घास उगे हुए पाये गये।
3. निरीक्षण के समय शिकायतकर्त्री श्रीमती कुन्ती देवी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री छेदी पुत्र रामलाल द्वारा उनकी जमीन से अवैध तरीके से बालू खनन का कार्य कराया जाता रहा है। मना किये जाने पर उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसके संबंध में सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।
4. शिकायती स्थल के उपरोक्त गाटों पर बालू खनन हेतु पर्यावरण विभाग से Environmental Clearance तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE एवं CTO प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है।
5. उक्त शिकायती स्थल जनपद महाराजगंज में स्थित सोहगी वरवा वन्य जीव बिहार अधिसूचित Eco Sensitive Zone से बाहर है।

अतः शिकायतकर्त्री द्वारा की गई शिकायत में जिस ग्राम के गाटा संख्या का उल्लेख किया गया है, उस पर किसी प्रकार का खनन होना नहीं पाया गया और न ही उन गाटों पर खनन हेतु कोई पट्टा/अनुज्ञा निर्गत किया गया है, जिससे पर्यावरण विभाग से भी Environmental Clearance निर्गत नहीं किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है तथा शिकायतकर्त्री द्वारा की गई शिकायत जॉच/स्थलीय निरीक्षण में निराधार पाई गयी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


खान निरीक्षक,
कुशीनगर।


क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर।


प्रभागीय वनाधिकारी
कुशीनगर।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
कुशीनगर।

कृपया पत्रावली के पताका "क" पर उपलब्ध सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० एच 78903/सी-6/सा०-692/ओ०ए० नं०- 444/2022/2022, दिनांक 25.07.2022 का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त पत्र के माध्यम से सदस्य सचिव महोदय द्वारा माननीय एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 444/2022, कुन्ती देवी एव अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। माननीय एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 44/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 में शिकायतकर्ता के शिकायत की जाँच हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर की एक संयुक्त समिति गठित करते हुए समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं दो सप्ताह में बैठक तथा एक माह में एक्शन टेकेन रिपोर्ट माननीय अधिकरण में दाखिल किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 44/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 के अनुपालन के अनुक्रम में समिति के सदस्यों की बैठक हेतु तिथि निर्धारित करने की कृपा करें।

(पंकज यादव)

क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गोरखपुर

26.7.2022

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद- कुशीनगर

दिनांक- 26.7.2022
समय: 11 AM
स्थान: कलेक्ट्रेट कार्यालय

Adm. व
Ministry Inspection - 01/05

28/7/22

29/7/22

20/7/22
ADMP

पत्रावली प्रारंभ की
दिनांक 27/7/22
(ओ०ए० सं० 44/2022)
जिलाधिकारी, कुशीनगर



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

3-08-22

Ref. No. H78903 सी-6/सा0-692/O.A. No.444/2022/2022-0 Dated 25-7-22

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
कुशीनगर, यू0पी0।

जिलाधिकारी

2. प्रभागीय वन अधिकारी,
कुशीनगर, यू0पी0।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ~~कार्रवाई~~ No.444/2022 कुन्ती देवी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.444/2022 कुन्ती देवी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित संलग्न आदेश दिनांक 22.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....2 In view of the averments made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of State PCB, DFO and District Magistrate, Kushi Nagar. Joint Committee shall meet within two weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and action taken report may be furnished within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. List the matter for further consideration on 30.08.2022....."

मा0 अधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रभागीय वन अधिकारी एवं जिलाधिकारी कुशीनगर की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं 02 सप्ताह में बैठक तथा 01 माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री पंकज यादव क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका मो0 07839891824, ई-मेल rogorakhpur@uppcb.in है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कमेटी हेतु अपने विभाग से सदस्य को नामित करते हुये नोडल अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या निर्धारित समयवधि में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की जा सके।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

SITE INSPECTION

